

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 29/2020 राजस्व अपील



1. कैलाश
2. रत्तीराम
3. हरिसिंह

पुत्रान श्री घासी जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध नायब तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 22.01.2020 प्रकरण  
उनवानी सरकार बनाम कैलाश वगै. मु. नं. 37/2020 अन्तर्गत धारा 91 राज.लैण्ड  
रेवन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।  
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 31.08.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मरियाडा द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट्स ने सम्वत 2076 में ग्राम गांवडी तहसील सिकराय के आराजी खसरा नं. 88 रकबा 1.50 है. भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट्स की बिना विधिवत तामील हुए बिना ही निर्णय जेर अपील पारित कर दिनांक 22.01.2020 को अपीलान्ट्स को 90 दिवस के सिविल कारावास व विवादित आराजी से बेदखल कर लगान दर्ज कर 50 गुणा पेनल्टी की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 22.01.2020 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोजेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर कानून नियम, उपनियम के खिलाफ है इसलिये निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट्स को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नहीं देकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में



अतिरिक्त जिला कलक्टर  
दौसा

भी यह अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट्स ने कौनसी फसल काशत की है। अपीलान्ट्स को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं दिया है। अपीलान्ट्स ने जरिये अधिवक्ता शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नं. 88 रकबा 1.50 है. पर सम्वत 2076 में कोई अतिक्रमण नहीं किया जाना, मौके पर उक्त आराजीयात खाली होना एवं अपीलान्ट्स द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जाना व्यक्त करते हुए निर्णय दिनांक 22.01.2020 में से सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने संवत 2076 में ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित आराजी भूमि खसरा नं. 88 रकबा 1.50 है. किस्म चरागाह पर गेहूं की काशत कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 22.01.2020 को बेदखल करने एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नं. 88 रकबा 1.50 है. पर सम्वत 2076 में कोई अतिक्रमण नहीं किया जाना, मौके पर उक्त आराजीयात खाली होना एवं अपीलान्ट्स द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जाना व्यक्त करते हुए निर्णय दिनांक 22.01.2020 में से सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने का निवेदन किया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित आराजी भूमि खसरा नं. 88 रकबा 1.50 है. पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.01.2020 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

( लोकेश कुमार मीना )  
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

( लोकेश कुमार मीना )  
अति० जिला कलक्टर, दौसा

